

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी पार्ट-2/25815/2024/97

दिनांक:- 11.3.2024

—:आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ 20(1) एफ.डी.रूल्स/ग्रुप-2/92 दिनांक 17.02.98, एफ 11(7) एडी/नियम/2008/दिनांक 12.09.2008, एफ14(88) वित्त(नियम)/2008-1/दिनांक 31.12.2009 एव एफ 15 (1)एफडी/नियम/2017दिनांक 30.12.2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 14(88) एफडी/नियम /2008 दिनांक 18.12.2020 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिकों जिन्होंने 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल मे एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय एसीपी की दिनांक	देय पे बैंड एसीपी/पे - मैट्रिक्स लेवल प्राप्त /प्राप्त पे-बैंड	देय ग्रेड-पे/ पे- मैट्रिक्स लेवल
1.	उषा यादव	नर्सिंग ट्यूटर	जयपुर	21.06.2014	21.06.2023 09 वर्ष	L-12	L-13
2.	रतनलाल पाटीदार	नर्सिंग ट्यूटर	प्रतापगढ़	07.07.2014	07.07.2023 09 वर्ष	L-12	L-13
3.	शैतान सिंह	नर्सिंग ट्यूटर	जोधपुर	23.06.2014	23.06.2023 09 वर्ष	L-12	L-13
4.	गायत्री मलिण्डा	नर्सिंग ट्यूटर	सीकर	21.06.2014	21.06.2023 9 वर्ष	L-12	L-13
5.	राजेन्द्र कुमार सैनी	नर्सिंग ट्यूटर	सीकर	25.06.2014	25.06.2023 9वर्ष	L-12	L-13
6.	किरण कुमारी भाखर	नर्सिंग ट्यूटर	सीकर	09.07.2014	09.07.2023 09 वर्ष	L-12	L-13
7.	अमित दाधिच	नर्सिंग ट्यूटर	सीकर	19.07.2014	19.07.2023 09 वर्ष	L-12	L-13
8.	ओम प्रकाश विश्‍नोई	नर्सिंग ट्यूटर	भीलवाडा	24.01.2011	24.01.2023 09 वर्ष	L-12	L-13

नोट:-क्रम संख्या 08 पर अंकित कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण वित्त विभाग के क्लियरिफिकेशन क्रमांक एफ 14(88)एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.01.2018 के अनुसार दिनांक 24.01.2020 के स्थान पर दिनांक 24.01.2023 से 09 वर्षीय एसीपी स्वीकृत की गई है।

उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध आपके कार्यालय स्तर पर भी विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित है या नहीं सुनिश्चित करावें।

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा। उक्त कार्मिक का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
शेष पृष्ठ 2 पर

RajKaj Ref
5905716

क्रमांक : नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी पार्ट-2/25815/2024/97

दिनांक:- 11-3-2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, (ई0एस0आई0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविद्यालय।
4. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
7. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5905716

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :11-03-2024 06:37:11